राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 65/2021 अपील

1. सुखदेव पुत्र गोकल जाट, निवासी– जबरकिया, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा –अपीलार्थी	बनाम	1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, शम्भुगढ जिला भीलवाड़ा –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार शम्भुगढ़ जिला भीलवाडा बप्रकरण संख्या 273/2021 धारा 91 एल. आर. एक्ट निर्णय दिनांक 06/12/2021
अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित –
1. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 16.11.2022

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 लैण्ड रेवन्यु एक्ट विरूद्व नायब तहसीलदार शम्भुगढ के प्रकरण संख्या 273/2021 निर्णय दिनांक 06.12.2021 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को ग्राम जबरकिया, पटवार हल्का मोतीपुर की आराजी संख्या 201 में से रकबा 0.02 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमी मान 02/– रू. जुर्माना एवं बेदखली का आदेश पारित करने में भारी भूल की हैं, अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर जो निर्णय पारित किया हैं वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने है। वादग्रस्त आराजियात पर अपीलाण्ट का कब्जा 50 वर्षों से भी अधिक समय से चलता आ रहा हैं तथा अपीलाण्ट नियमन की पात्रता रखता हैं तथा कब्जेसुदा रकबे पर काफी लागत लगा रखी हैं तथा पक्का निर्माण कर रखा हैं जो काफी लम्बे समय से है तथा नियमन योग्य हैं ऐसी स्थिति मे कब्जेसुदा आराजियात का नियमन अपीलाण्ट के नाम किया जाना चाहिए था। अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाते हुए अपीलाण्ट को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को प्रतिप्रेषित

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण कर रखा हैं। प्रश्नगत आराजी से अतिक्रमी को बेदखल करने का जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया हैं, वह विधिसम्मत प्रतीत होता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 273/2021 निर्णय दिनांक 06.12.2021 यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार शम्भुगढ जिला भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)